न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
80 / 2024	12 / 06 / 2024	01 / 04 / 2025

1. मदन पुत्र पांचूराम
2. रामधन पुत्र गोपीराम
3. रामकरण पुत्र गोपीराम
4. महादेव पुत्र प्रभात
5. जन्सी पुत्र प्रभात दत्तक पुत्र बिरदा

जाति मीणा निवासी ग्राम झोल पोस्ट मानोता, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. जयदयाल पुत्र नेपाल जाति मीणा निवासी ग्राम झोल तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
2. कमला देवी पत्नि नेपाल
3. ताराचन्द पुत्र नेपाल
4. राजेश पुत्र नेपाल

समस्त आयु वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम मेंदला उर्फ झुझांरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

5. राज्य सरकार जरिये तहसीदार, जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री किशनलाल :– वकील वादीगण।
श्री राजेश कुमार वर्मा :– वकील प्रतिवादी सं0 1

दावा बाबत बेदखली, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादीगण की ओर से एड0 श्री किशनलाल ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 197/77 रकबा 1.7367है0, खसरा नम्बर 199 77 रकबा 5.0000है0 ग्राम झोल पटवार हल्का मानोता तहसील जमवारामगढ में स्थित है। वादीगण के कब्जे काश्त व हक अधिकार की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगणों का कोई संबंध सरोकार नही है तथा वादीगण मेहनत मजदूरी का कार्य करते है तथा अपना जीवनयापन करते है। प्रतिवादीगण का वादीगण की भूमि से किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नही है लेकिन प्रतिवादीगण बाहुबल में अधिक व प्रभावशाली है जिस कारण जबरन वादीगण की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है तथा कब्जा हटाने के लिये कहने पर गाली

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

गलोच व मारपीट करने का प्रयास करते है तथा वादीगण का जान से मारने पीटने की धमकीया देते है। वादीगण मजदूरी का कार्य करते है तथा अक्सर बाहर रहते है तथा प्रतिवादीगण वादीगण के बाहर रहने का फायदा उठाकर अक्सर वादीगण के परिवारजन से लडाई झगडा करते है तथा वादीगण की भूमियां पर कब्जा करने के उद्देश्य से निर्माण कार्य करने पर आमादा रहते है तथा वादीगण की भूमियों के कुछ हिस्से लगभग 4 बीघा भूमि पर कब्जा करके अपना अधिपत्य कर लिये है तथा दिनांक 14.03.2024 को वादीगण ने कब्जा हटाने के लिये मना करते हुये कहा कि अम तुम्हारा कोई लेना देना उक्त भूमियों पर नही है उक्त भूमि पर हमने कब्जा कर अपना स्वयं का आधिपत्य जमा लिया है तथा कहा कि तुमने या तुम्हारे परिवारजन ने हमे रोकने की कोशिश की तो तुम्हे व तुम्हारे परिवार को जान से मार देगे तथा वादीगण लडाई झगडा करने में और कानून अपने हाथ में लेने में विश्वास नही रखते है इसलिए मौके पर से चला गये इसके बाद पुनः दिनांक 01.06.2024 को वादीगण अपनी भूमियों के मौके पर गये और प्रतिवादीगण से सालीनता से समझाईस कर उक्त भूमि पर काश्त करने देने से लिए समझाये परन्तु प्रतिवादीगण ने कहा कि अब इस भूमि पर हम ही काश्त करेगे तथा तुमको खेतों पर नही आने देगे और यह भी कहा कि तुमने इन भूमियों पर काश्त करने का प्रयास किया तो हम एकत्रित होकर तुम्हे ऐसा सबक सिखायेगे कि तुम इन खेतों पर आना ही भूल जाओगे और तुम्हे जो करना है कर लो, तब मान्य न्यायालय मे आकर दावा पेश करना आवश्यक हुआ। अतः वादी की उक्त वर्णित भूमियों पर कानून के विपरित व विधि विधान के विपरित किये गये कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण के हिस्से पर तारफेन्सीग करवाकर जाकर वादीगण को उक्त भूमियों का कब्जा दिलवाया जाने के आदेश प्रदान करें तथा प्रतिवादीगणों का जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर एड0 श्री राजेश कुमार वर्मा ने दिनांक 25.06.2024 को वकालतनामा पेश किया। जो शामिल मिसल है। शेष प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः दिनांक 11.02.25 को प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रतिवादी सं0 1 ने जवाब पेश नही किया। अतः जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी सं0 5 (पैरोकार सरकार तहसीलदार जमवारामगढ) ने अपने पत्रांक/रीडर/2024/604 दिनां 9.7.24 द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि वाद में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 197/77 रकबा 1.7367है0, खसरा नम्बर 199/77 रकबा 5.00है0 मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम झोल मदन पुत्र पांचूराम हि0 1/4, जन्सी, महादेव पि0 प्रभात हि0 1/2, रामकरण, रामधन पि0 गोपीराम हि0 1/4 जाति मीना सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण की भूमि के लगवा प्रतिवादीगण की भूमि स्थित है। वादीगण ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 23.05.2023 को करवा लिया है एवं अप्रार्थीगण ने दिनांक 15.05.2024 को श्रीमान की उपस्थिति में पत्थरगढी की कार्यवाही करवाई थी। अप्रार्थीगण ने वादीगण की भूमि के दक्षिणी भाग पर अतिक्रमण कर रखा है व कब्जाकाश्त है।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम झोल पटवार हल्का मानोता तहसील जमवारामगढ में वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 197/77 रकबा 1.7367है0, खसरा नम्बर 199 77 रकबा 5.0000है0 स्थित है। जिस पर प्रतिवादीगणों द्वारा किये गये कानून के विपरित व विधि विधान के विपरित कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण के हिस्से पर तारफेन्सीग करवाकर जाकर वादीगण को उक्त भूमियों का कब्जा दिलवाया जाने के आदेश प्रदान करें तथा प्रतिवादीगणों का जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

अतः वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत बेदखल, स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि वादीगणों की ग्राम झोल, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 197/77 रकबा 1.7367है0, खसरा नम्बर 199 77 रकबा 5.0000है0 पर प्रतिवादीगणों को बेदखल किया जावें तथा कब्जा वादीगणों का समलाया जावें। साथ ही प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजियात में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही करे, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करें, वादीगण की भूमि में उगे हरे पेडों को नही काटे एवं उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नही करे। उक्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट से करावें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 01/04/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर